न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022/434 दर्ज तिथिः–01.02.2022

1. हड़मान वल्द करना
2. गोमा वल्द करना
   जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

......................वादी

बनाम

1. धना वल्द खेता
2. दला वल्द खेता
3. पेमा वल्द खेता
4. चेनीदेवी पत्नी हरजी
   जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।
5. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर
6. मूला वल्द राजू
7. पोकर वल्द राजू
8. लूम्बा वल्द राजू
9. बाला वल्द राजू
10. हेमी पत्नी राजू
    जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः–श्री भंवरलाल सारण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–06.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 17/0.1618 है0, 18/2.0306 है0, 19/0.0647 है0, 20/6.8765 है0, 21/18.6717 है. मौजा जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 एवं 06 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 एवं 06 जरिये असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 एवं 06 द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी की आराजी भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजित कर पृथक खाता कायम किया जावे। तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 14 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—01
नक्शा	खाता संख्या 14 मौजा जाणियों की ढाणी	प्रदर्श—02
नक्शा	नजरी नक्शा खसरा संख्या 17, 18, 19, 20, 21 मौजा जाणियों की ढाणी	प्रदर्श—03

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

गवाह	नाम	जाति	निवासी
पी.डब्ल्यू.—01	हड़मान पुत्र करना	जाट	जाणियों की ढाणी
पी.डब्ल्यू.—02	गोमा वल्द करना	जाट	जाणियों की ढाणी
पी.डब्ल्यू.—03	सोनाराम पुत्र फुसाराम	जाट	जाणियों की ढाणी

5. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में रखी गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

गवाह	नाम	जाति	निवासी
डी.डब्ल्यू.—01	चेनीदेवी पत्नी हरजीराम	जाट	जाणियों की ढाणी
पी.डब्ल्यू.—02	चिमाराम पुत्र निम्बाराम	जाट	सियोगों की ढाणी

6. प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.06.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1614 दिनांक 09.09.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—151 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त संयुक्त आराजी के खसरा संख्या 20 जो कि निम्बलकोट से बाड़मेर तक जाने वाली मुख्य सड़क पर अवस्थित है। उक्त खसरा संख्या 20 से शेष खसरे जुड़े होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण इसी खसरे से आवागमन करते आ रहे हैं। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 18 के पूर्वी भाग की तरफ रास्ता प्रस्तावित किया है। परंतु उक्त खसरा संख्या 18 में प्रस्तावित रास्ता पूर्व में नहीं होने से उक्त रास्ता देना उचित नहीं है। आगे कथन किया कि वादीगण के खसरा संख्या 18 तक पहुंच हेतु खसरा संख्या 20 के सेढासेढ 03 गट्ठा रास्ता वादीगण के कब्जा काश्त तक रास्ता दिलवाते हुए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने पर सहमति प्रदान की। साथ ही वादीगण हेतु प्रस्तावित रास्ते के बदले भूमि की क्षति की भरपाई वादीगण को प्रतिवादीगण को भूमि से किये जाने पर सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा वादी के प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—151 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तावित खसरा संख्या 18 के रास्ते पर प्रतिवादी संख्या 04 का पक्का घर अवस्थित होने के कारण वादी का उक्त प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1614 दिनांक 09.09.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 12.07.2024 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 321—331 दिनांक 05.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 321—331 दिनांक 05.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 04 को उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार है। साथ ही नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 20 मुख्य सड़क पर अवस्थित है। उक्त खसरा संख्या 20 से मुख्य सड़क तक रास्ता दिये जाने पर वादीगण द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के बदले भूमि प्रतिवादीगण को देने हेतु सहमति प्रदान की गई है। उक्त के संबंध में प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण द्वारा चाहे गये रास्ते पर प्रतिवादी संख्या 04 का पक्का मकान अवस्थित है। जिसके संबंध में वादीगण द्वारा उक्त तथ्य का खण्डन करते हुए कथन किया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। अतः उक्त कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् खसरा संख्या 20 के सेढासेढ पक्की सड़क से खसरा संख्या 18 तक रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रकरण में व्यावहारिक नहीं होने के कारण आपत्ति खारिज की जाती है।

8. तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 17/0.1618 है0, 18/2.0306 है0, 19/0.0647 है0, 20/6.8765 है0, 21/18.6717 है. मौजा जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

10. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 17/0.1618 है0, 18/2.0306 है0, 19/0.0647 है0, 20/6.8765 है0, 21/18.6717 है. मौजा जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
गोमाराम पुत्र करनाराम हि0 पूर्ण कौम जाट सा0 देह खातेदार	जाणियों की ढाणी	18 21	0.9955 5.9165	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 6.9120 है0				
हड़मानराम पुत्र करनाराम हि0 पूर्ण कौम जाट सा0 देह खातेदार	जाणियों की ढाणी	17 19 18 20 21	0.1618 0.0647 0.8910 0.7926 5.0019	गै0मु0 गै0मु0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 05 रकबा 6.9120 है0				
चेनीदेवी पत्नी हरजीराम हि0 1/8 दलाराम पुत्र खेताराम हि0 1/8 धनाराम पुत्र खेताराम हि0 1/8 पेमाराम पुत्र खेताराम हि0 1/8 पोकरराम पुत्र राजूराम हि0 1/10 बालाराम पुत्र राजूराम हि0 1/10 मूलाराम पुत्र राजूराम हि0 1/10 लुम्बाराम पुत्र राजूराम हि0 1/10 हेमी पत्नी राजूराम हि0 1/10 कौम जाट सा0 देह खातेदार	जाणियों की ढाणी	20 21	6.0359 7.7503	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 13.7862 है0				
गोमाराम पुत्र करनाराम हि0 1/4 हड़मानराम पुत्र करनाराम हि0 1/4 चैनीदेवी पत्नी हरजीराम हि0 1/16 दलारामपुत्र खेताराम हि0 1/16 धनाराम पुत्र खेताराम हि0 1/16 पेमाराम पुत्र खेताराम हि0 1/16 पोकरराम पुत्र राजूराम हि0 1/20 बालाराम पुत्र राजूराम हि0 1/20 मूलाराम पुत्र राजूराम हि0 1/20 लूम्बाराम पुत्र राजूराम हि0 1/20 हेमी पत्नी राजूराम हि0 1/20 कौम जाट सा0 देह खातेदार	जाणियों की ढाणी	21 18 20	0.0030 0.1441 0.0480	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 0.1951 है0				

नोटः—खसरा संख्या 4/1 गै0मु0 सड़क से खसरा संख्या 20 से होकर वादीगण को रास्ता दिया जाना स्वीकार किया गया है। खसरा संख्या 20 में लाल रंग से प्रदर्शित भू—भाग प्रतिवादीगण को दिया गया है। उक्त खसरा संख्या 20 में लाल रंग प्रदर्शित भू—भाग से वादीगण को समान चौड़ाई का रास्ता खसरा संख्या 20 व 06 के सेढेसेढे खसरा संख्या 19 व 20 के मध्य सेढे तक दिया जाना है। उक्त रास्ते में आई भूमि के एवज में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को खसरा संख्या 20 व 21 में समान रकबे की आराजी दी जावे। इसी अनुसार वादी के रकबे में कमी व प्रतिवादी के रकबे में वृद्धि की जावे। अर्थात्त उक्त रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि केवल वादी के हिस्से में से कम की जानी है।

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022 / 434 दर्ज तिथिः—01.02.2022

1. हड़मान वल्द करना
2. गोमा वल्द करना
   जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. धना वल्द खेता
2. दला वल्द खेता
3. पेमा वल्द खेता
4. चेनीदेवी पत्नी हरजी
   जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।
5. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर
6. मूला वल्द राजू
7. पोकर वल्द राजू
8. लूम्बा वल्द राजू
9. बाला वल्द राजू
10. हेमी पत्नी राजू
    जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री भंवरलाल सारण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 17 / 0.1618 है0, 18 / 2.0306 है0, 19 / 0.0647 है0, 20 / 6.8765 है0, 21 / 18.6717 है.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

मौजा जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
गोमाराम पुत्र करनाराम हि0 पूर्ण कौम जाट सा0 देह खातेदार	जाणियों की ढाणी	18 21	0.9955 5.9165	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 6.9120 है0				
हड़मानराम पुत्र करनाराम हि0 पूर्ण कौम जाट सा0 देह खातेदार	जाणियों की ढाणी	17 19 18 20 21	0.1618 0.0647 0.8910 0.7926 5.0019	गै0मु0 गै0मु0 बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 05 रकबा 6.9120 है0				
चेनीदेवी पत्नी हरजीराम हि0 1/8 दलाराम पुत्र खेताराम हि0 1/8 धनाराम पुत्र खेताराम हि0 1/8 पेमाराम पुत्र खेताराम हि0 1/8 पोकरराम पुत्र राजूराम हि0 1/10 बालाराम पुत्र राजूराम हि0 1/10 मूलाराम पुत्र राजूराम हि0 1/10 लुम्बाराम पुत्र राजूराम हि0 1/10 हेमी पत्नी राजूराम हि0 1/10 कौम जाट सा0 देह खातेदार	जाणियों की ढाणी	20 21	6.0359 7.7503	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 13.7862 है0				
गोमाराम पुत्र करनाराम हि0 1/4 हड़मानराम पुत्र करनाराम हि0 1/4 चैनीदेवी पत्नी हरजीराम हि0 1/16 दलारामपुत्र खेताराम हि0 1/16 धनाराम पुत्र खेताराम हि0 1/16 पेमाराम पुत्र खेताराम हि0 1/16 पोकरराम पुत्र राजूराम हि0 1/20 बालाराम पुत्र राजूराम हि0 1/20 मूलाराम पुत्र राजूराम हि0 1/20 लूम्बाराम पुत्र राजूराम हि0 1/20 हेमी पत्नी राजूराम हि0 1/20 कौम जाट सा0 देह खातेदार	जाणियों की ढाणी	21 18 20	0.0030 0.1441 0.0480	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 0.1951 है0				
नोटः—खसरा संख्या 4/1 गै0मु0 सड़क से खसरा संख्या 20 से होकर वादीगण को रास्ता दिया जाना स्वीकार किया गया है। खसरा संख्या 20 में लाल रंग से प्रदर्शित भू—भाग प्रतिवादीगण को दिया गया है। उक्त खसरा संख्या 20 में लाल रंग प्रदर्शित भू—भाग से वादीगण को समान चौड़ाई का रास्ता खसरा संख्या 20 व 06 के सेढेसेढे खसरा संख्या 19				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

व 20 के मध्य सेढे तक दिया जाना है। उक्त रास्ते में आई भूमि के एवज में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को खसरा संख्या 20 व 21 में समान रकबे की आराजी दी जावे। इसी अनुसार वादी के रकबे में कमी व प्रतिवादी के रकबे में वृद्धि की जावे। अर्थात्त उक्त रास्ता की भूमि केवल वादी के हिस्से में से कम की जानी है।

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested